राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 686/2024

झुंथाराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं उप सचिव, ग्रुप–2, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, सरकार।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर, पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पंचायत समिति नंदबई, भरतपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी 31 मई 2025 में सेवानिवृत हो रहा है। उसकी सेवानिवृति में एक वर्ष तीन महीने शेष है। सैकण्डरी का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–2) पर उपलब्ध है। जिस कार्मिक को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित किया गया था, उसे पहले ही किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई प्रशासनिक कारण उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर जून 2022 से कार्यरत है। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किए गए श्री भागीरथ मीणा को आदेश दिनांक 23.02.2023 द्वारा पंचायत समिति देवगढ़ राजसमंद में पदस्थापित किया जा चुका है एवं किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ह्रदय रोग से पीड़ित है तथा उसका निरंतर इलाज चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा

डॉ पुष्पा महेन्द्र के प्रकरण में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि राज सेवक की सेवानिवृति से दो साल पहले स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अतः आलौच्य आदेश (अनुलग्नक–4) जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

2. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर विकास अधिकारी के पद पर, पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन विकास अधिकारी के पद पर, पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर में जून 2022 से कार्यरत है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली व्यक्तिगत परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली

इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रकरण के ऑललाईन प्रस्तुत एवं निस्तारण करने की व्यवस्था की गई है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य